न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/73

श्रीमती कलावती पत्नी श्री गोपाल जाति मीणा निवासी रजतगृह कोलोनी नैनवा रोड वार्ड नम्बर 01, बून्दी जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. सुगना बावरिया पुत्री श्री हजारी लाल जाति बावरिया निवासी ज्योति नगर बाल्मिकी कच्ची बस्ती, एलआईसी ऑफिस के सामने जयपुर हाल निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. ताराचन्द पुत्र श्री कपूरचन्द जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 10, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. हनुमान पुत्र श्री कपूरचन्द जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 10, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. महेन्द्र पुत्र श्री कपूरचन्द जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 10, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. सीता पुत्र श्री कपूरचन्द जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 10, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. विमला पुत्री श्री कपूरचन्द पत्नी राजमल जाति महाजन निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. बाबूलाल पुत्र गाडमल जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 10, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. कैलाशी पुत्री गाडमल पत्नी पदम जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 05, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. प्रेमबाई पुत्री गाडमल पत्नी चौथमल जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 7, ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. श्रीमान् तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 11 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 15.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट कम 1 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नैनवा की भूमि खाता संख्या 725 के खसरा नम्बर 487 रकबा 4.6113 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थिया ने खातेदार शिवजी लाल आत्मज रामकुंवार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2020 को 10 बीघा भूमि पूर्व ओर की तथा दिनांक 09.09.2020 को 10 बीघा भूमि पश्चिम की ओर की एवं दिनांक 16.09.2020 को 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि मध्य की इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि 28 बीघा 10 बिस्वा को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । उक्त भूमि पर आने–जाने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 9 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 482 में होकर आम रास्ता भावपुरा रोड पर पहुंचता है । पूर्व खातेदार इसी प्रकार से उक्त भूमि पर आने–जाने व कृषि यंत्रों को लाने व ले जाने के रूप में रास्ते का लगातार उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा था । उसके बाद प्रार्थिया व उसके परिवारजन उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग बदस्तूर करते चले आ रहे हैं । उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है ।

3. अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाये गये अनुसार रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 9 को पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थिया के रास्ते के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.03.2022 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिया के खाते की भूमि पर आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 482 रकबा 1.0032 हैक्टर में से 14 गठ्ठा लम्बा तथा 02 गठ्ठा चौडाई के हिसाब से 28 गठ्ठा यानि 1.5 (डेढ) बिस्वा भूमि रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाये गये अनुसार रास्ता घोषित किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2022 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में पत्रावली पक्षकारान के वकालतनामा पेश करने एवं जवाब में नियत चल रही थी, जिसमें आगामी पेशी वकालतनामा पेश करने एवं जवाब हेतु नियत थी, परन्तु दिनांक 15.03.2022 को ही निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने उक्त निर्णय लोक अदालत में पारित किया है परन्तु लोक अदालत में केवल सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट वर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 01 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें परीक्षण न्यायालय ने नोटिस जारी कर तारीख पेशी अंकित की गई । अपीलान्ट को नोटिस प्राप्त होने पर दिनांक 15.09.2021 को जरिये अभिभाषक परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुई तो पत्रावली तारीख पेशी पर नहीं थी । पत्रावलियों को पंचायतवार कैम्प में रखा हुआ था । अपीलान्ट को कहा गया था कि कैम्प समाप्त होने पर रेगुलर सुनवाई होगी तभी वकालतनामा सबमिट होगा । परीक्षण न्यायालय में दिनांक 21.03.2022 को जानकारी करने पर पता चला कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली को दिनांक 15.03.2022 को ही एकतरफा निर्णय पारित किया जा चुका है । परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी व मौके की वर्तमान स्थिति से विपरीत जाकर सरसरी तौर पर पत्रावली को राजस्व नियमों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई के अधिकार से वंचित करते हुए पूर्णतया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है । लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक होती है । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली वकालतनामा पेश करने एवं जवाब में नियत चल रही थी जिसमें आगामी पेशी वकालतनामा पेश करने एंव जवाब हेतु नियत थी । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय को यह भी देखना आवश्यक था कि वहाँ पर पूर्व में कोई वैकल्पिक रास्ता को मौजूद नहीं है । तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एकपक्षीय है । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में न तो तामील बाबत् कोई कथन अंकित किया और न ही जवाब हेतु कोई कथन अंकित किया है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2022 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में सिविल प्रकिया संहिता के पेज, 197, 199 बाबत् सम्मन तामील आदेश 05 नियम 16 व उसकी प्रकिया आदेश 05 नियम 18 सीपीसी, आरआरटी 2022 पेज 693, आरआरटी 2022 (1) पेज 184, आरआरटी 2022 (1) पेज 179, आअरारटी 2016–17 (सप्ली0) पेज 597, एआईआर 2021 (एससी) पेज 4854, आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 186 उद्वरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट कम 11 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 482 की आराजी रेस्पोडेन्ट कम 11 बैंक ऑफ बडौदा के पास गिरवी रखी है । दिनांक 27.08.2021 को प्रतिवादी कम 01 को नोटिस प्राप्त हुआ है । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अवधि बाधित पेश की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2022 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 01 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें परीक्षण न्यायालय ने नोटिस जारी कर तारीख पेशी अंकित की गई । प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट ने अपनी अपील में कथन किया कि अपीलान्ट

को नोटिस प्राप्त होने पर दिनांक 15.09.2021 को जरिये अभिभाषक परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुई तो पत्रावली तारीख पेशी पर नहीं थी । पत्रावलियों को पंचायतवार कैम्प में रखा हुआ था । इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा दूसरी ओर यह भी कथन किया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा नोटिस अपीलान्ट को प्रोपर तामील नहीं हुआ है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में विरोधाभासी कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से हम सहमत नहीं हैं कि नोटिस तामील नहीं हुआ है, क्योंकि नोटिस तामील दिनांक 27.08.2021 के पश्चात् दिनांक 15.09.2021 को जरिये अभिभाषक परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । यह स्वयं अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में स्वीकार किया है कि वे "अपीलान्टा को नोटिस प्राप्त होने पर दिनांक 15.09.2021 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई तो पत्रावली तारीख पेशी पर नहीं थी, पत्रावलियों को पंचायतवार कैम्प में रखा हुआ था ।" इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी थी । मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी व आई0एल0आर0 द्वारा तैयार की गई है । निर्णय में अंकन है कि प्रार्थी के पहुंच हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है । आदेशिका दिनांक 15.03.2022 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई । अपीलान्ट ने अपील मीमो के बिन्दु संख्या 03 में लोक अदालत में निर्णय होने का मिथ्या कथन किया है जबकि निर्णय लोक अदालत में नहीं हुआ । अपील मीमो से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उक्त प्रकरण के संस्थित होने की सूचना समय पर हो गई थी । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण यथासंभव 90 दिन में करने का प्रावधान है । उपखण्ड अधिकारी को Summary Inquiry कर उसका समयबद्ध निस्तारण करना होता है । अतः प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा स्वयं के कथनों से सिद्ध है कि एक बार न्यायालय में उपस्थित होने के बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं करना स्वयं अपीलान्ट की उदासीनता है । अपीलान्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है जो परीक्षण न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है । हमने परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थिया सुगना बाई के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं । तथा उक्त मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रार्थिया के पहुंच हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । उक्त मौका रिपोर्ट पर निरीक्षक भू–अभिलेख के हस्ताक्षर है ।

10. उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय में प्रकरण संस्थित होने की समय पर जानकारी हो गई थी तथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 15.03.2022 को निर्णय पारित किया है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2022 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा